

कयर बोर्ड Coir Board

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of MS&ME, Govt. of India) कयर हाउस, एम.जी.रोड., कोच्ची - 682016

Coir House, M.G. Road, Kochi - 682016

तार/ Gram : COIR BOARD

दूरभाष / Ph : 0484-2351954, 2351807, 2351788

फैक्स / Fax : 0484-2370034, 2354397 ई–मेल/ E-mail : coir@md2.vsnl.net.in

वेब/ Web : www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gov.ir

ए-20012/46/2015-प्रशा (स्था.)

28.06.2019

परिपत्र

विषय:

सरकारी क्वार्टरों का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के वेतन से लाइसेंस श्ल्क, जल श्ल्क आदि की कटौती - सं.

यह देखा गया है कि बोर्ड के कुछ कर्मचारी सरकारी क्वार्टरों में आवासीय आवास का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार के सामान्य पूल आवासीय आवास नियम 2017 के नियम 74 के प्रावधान के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों से संबंधित लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान क्वार्टर प्राधिकार को यथासमय देना होगा। कुछ मामलों में बोर्ड को इन अधिकारियों द्वारा उपरोक्त के बकाए का भुगतान न करने से संबंधित नोटिस प्राप्त होता है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, सरकारी क्वार्टर का लाभ उठाने वाले बोर्ड के सभी कर्मचारी पूर्ण प्रासंगिक तथ्यों के साथ इसे कार्यालय को तुरंत घोषित करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि उप कार्यालयों और शोरूम व बिक्री डिपों के सभी कार्यालय प्रभारी जून, 2019 से लेकर सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले संबंधित कर्मचारियों के वेतन से लाइसेंस शुल्क, जल शुल्क आदि की कटौती कर सकते हैं और संबंधित अधिकारियों को भुगतान कर सकते हैं।

यह दिनांक 17.05.2019 के सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में:

- 1. लेखा अनुभाग
- 2. सभी उप कार्यालयों और शोरूम व बिक्री केन्द्र
- 3. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड
- 4. कयर बोर्ड वेबसाईट



कयर बोर्ड Coir Board

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of MS&ME. Govt. of India)

तार/ Gr दरभाष/

कयर हाउस, एम.जी.रोड., कोच्ची - 682016 Coir House, M.G. Road, Kochi - 682016

तार/ Gram : COIR BOARD

दूरभाष/ Ph : 0484-2351954, 2351807, 2351788

फैक्स / Fax : 0484-2370034, 2354397 ई-मेल/ E-mail : coir@md2.vsnl.net.in

वेब/ Web : www.coirboard.nic.in, www.coirboard.go

Date: 28.06.2019

No.A-20012/46/2015-ADM(PERSONNEL)

CIRCULAR

Sub: Deduction of Licence Fee, Water charges etc from the salary of employees availing Government Quarters.

It has been observed that some of the staff members of the Board are availing residential accommodation in Government quarters. As per the provision of Rule 74 of the Central Government General Pool Residential Accommodation Rules 2017, the licence fee and other charges due to such employees have to be paid to the concerned authority of the quarters, promptly. In some cases the Board gets notices issued by these authorities for non-payment of dues on account of the above. In order to avoid such incidents in future, all the employees of the Board availing Government quarters shall declare the same to the Office immediately, with full relevant facts. It has also been decided that all the Office in charges of Sub Offices and Showrooms & Sales Depots may deduct the licence fee, water charges etc. on account of those employees staying in Government quarters from their salary and make the payment to the authorities concerned every month, w.e.f. June 2019.

This issues with the approval of Secretary Coir Board dated 17.05.2019.

ADMINISTRATIVE OFFICER

To

- 1. Accounts Section
- 2. All Sub Offices and SR&SDs
- 3. E-office Notice Board
- 4. Coir Board Website